कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक/वाहन/2018/ 3880-81

टीकमगढ़, दिनांक 20.12.18

//निविदा आमंत्रण सूचना//

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के ज्ञाप क./एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू. /2018/10134 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा सर्पोटिव सुपरविजन अन्तर्गत मोबिलिटी सर्पोट वाहन, जिला एवं विकासखण्ड़ स्तर पर वाहन प्रकार महिन्द्रा स्कार्पियो, महिन्द्रा बुलेरो, मारुति स्वीफट डिजाईर, टाटा इंडिका विस्टा, एवं टाटा इंडिगो सी.एस. टैक्सी परिमिट वाहन दैनिक/मासिक दर पर कुल वाहन 22 (04 वाहन जिला मुख्यालय, 12 वाहन आर.बी.एस.के एवं 06 वाहन बी.पी.एम.यू/बी.एम.ओं) मासिक/दैनिक दरों पर किराये पर लेने हेतु सील बंद लिफाफा में सेवाकर (Service Tax) प्रदाता संस्थायें/फर्मो से जिला एवं विकासखण्ड़ हेतु वाहन अनुसार निविदायें दिनांक 14.01.2019 को सायं 5:00 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, उक्त निवदायें दिनांक 23.01.2019 को सायं 4:00 बजे गठित चयन समिति एवं निविदा प्रदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के नियम, निहित शर्ते एवं निविदा प्रपत्र www.tikamarh.nic.in से Downlode की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते के साथ निविदा शुल्क 1000/– रूपयें के डिमांड ड्राफ्ट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।निविदा के साथ प्रति वाहन रूपयें 10000/–(दस हजार रूपयें मात्र) का डिमाण्ड डॉफट **डी.एच.एस. एन.आर.एच.एम टीकमगढ़** {DHS NRHM Tikamgarh} के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
टीकमगढ़ दिनांक 20.12.18

पृ.कमांक/वाहन/2018/ 3880-81
प्रतिलिपिः–

1. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
2. संचालक जनसम्पर्क विज्ञापन शाखा, बाणगंगा म.प्र. भोपाल की ओर उक्त विज्ञापन राज्य स्तर के तीन संस्करण में प्रकाशित कराया जाकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
20/12/2018

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

1. वाहन अनुबंध का स्थान — जिला मुख्यालय
2. वाहनो का कमांक —
3. टैक्सी परमिट हॉ/नही —
4. वाहन का मॉडल /वर्ष —
5. अनुबंध अवधि —
6. वाहन लगाने का स्थान जिला मुख्यालय/ विकासखंड का नाम —

(1) क्रं	(2) वाहन का प्रकार	(3) दैनिक दर	(4) मासिक दर	(5) वाहन का प्रति लीटर न्यूनतम एवरेज	(6) चलन की अधिकतम किमी सीमा प्रतिमाह	(7) निर्धारित सीमा से अतिरिक्त चलने पर किमी की दर	(8) स्वीकृत अधिकतम राशि प्रतिमाह
1	महिन्द्रा स्कार्पियो	[redacted]		12	1400 किमी		30000/—
2	महिन्द्रा बुलेरो मोबिलिटी			12	1400 किमी		25000/—
3	महिन्द्रा बुलेरो आरबीएसके			12	1200 किमी		22500/—
4	मारुति स्वीफट डिजाईर			15	1400 किमी		25000/—
5	टाटा इंडिका .			15	1400 किमी		25000/—

नोटः— (कालम नं 06 मे अंकित से कम एवरेज मान्य नही किया जावेगा एवं [redacted] बाक्स मे दरे प्रस्तुत ना करे)

1. निविदा प्रपत्र राशि (1000 रूपये) डी.डी. कमांक) .... दिनांक.......... बैंक का नाम............
2. निविदा दाता जितने वाहनो के लिए दरे प्रस्तुत करना चाहता है उतनी धरोहर राशि रू. 10000/— प्रति वाहन के मान से डिमाडं डाफट नंबर ....दिनांक...........................बैंक का नाम......................... राशि रु............................।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पता

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—:निविदाकार हेतु शर्तेः—

1. वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल वर्ष 2016 से पूर्व का न हो।
3. वाहन चालक का वैध ड्रायबिंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. जिला मुख्यालय पर 04 वाहन दैनिक/मासिक दरों पर एवं 03 वाहन प्रति विकासखण्ड़ के हिसाब से कुल 18 वाहन (12वाहन आर.बी.एस. के एवं 06 वाहन वी.पी.एम.यू/बी.एम.ओं) जतारा,पृथ्वीपुर,निवाड़ी,पलेरा,बल्देवगढ एवं बड़ागॉव के लिए अनुबंधित किये जावेगें।
5. वाहन के कर, बीमा, पार्किंग का प्रभार एवं मरम्मत आदि का संपूर्ण भार, वाहन स्वामी का होगा, परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या चालक की असावधानीवश वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी अन्य वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही होने के लिये वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. वाहन किरायें पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार सेवाकर {ServiceTax} हेतु पंजीकृत फर्मे/संस्थायें ही मान्य होगी। सेवाकर पंजीकरण न होने की दशा में सबंधित संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना प्रचलित नियमों में अनुमत्य होगा।
7. वाहन चालक द्वारा लॉग–बुक पर संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण कराना होगा। जिसकों पृथक से जी.पी.एस. के साथ मिलान कियें जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
8. वाहन संबंधी अनुबंध की शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
9. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र टीकमगढ़ ही होगा।
10. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार इस निविदा पर किया गया अनुबंध, निष्पादन की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए प्रभावशील रहेगा, एवं तदुपरांत नई निविदा प्रकिया पूर्ण होने तक निविदाकार को उसी दर पर आवश्यक होने पर वाहन उपलब्ध कराना पड़ेगा।
11. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कुल भुगतान राशि श्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
12. वाहन चालक को किसी अवकाष की पात्रता नही होगी। यदि किसी कारणवष उपलब्ध वाहन चालक को अवकाश की आवश्यकता हो तो अन्य वाहन चालक की व्यवस्था वाहन मालिक की होगी। वाहन खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था सबंधित संस्था/फर्म को करनी होगी। वाहन उपलब्ध न होने की दशा में रूपयें 1000/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड़ लगाया जावेगा।
13. उपरोक्त शर्तों पर सहमत हो तो अमानत राशि 10000.00 (दस हजार) रूपयें प्रति वाहन का डिमाण्ड डाफट जो कि **डी.एच.एस. एन. आर.एच.एम. जिला टीकमगढ** {DHS NRHM Tikamgarh} के नाम से देय हो। (निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)
14. निविदादाता को प्रपत्र के विन्दु कं 6 पर स्पष्ट अंकित करना होगा कि संम्बधित संस्था जिला मुख्यालय एवं किन–किन विकासखंडो हेतु दरे प्रस्तुत करना चाहती है।
15. विकासखण्ड़ में बीएमओ मोबीलिटी सर्पोट हेतु बुलेरो अथवा समकक्ष वाहन जी.पी.एस सिस्टम सहित राशि 25000/– रूपयें (शब्दों में पच्चीस हजार) प्रतिमाह डीजल एवं किराया सहित से व आर.बी.एस.के. टीम हेतु बुलेरो वाहन जी.पी.एस सिस्टम सहित राशि 22500/– रूपयें (शब्दों में बाइस हजार पॉच सौ) प्रतिमाह डीजल एवं किराया सहित से ज्यादा औसत व्यय मान्य नही होगा। इससे अधिक व्यय होने पर विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि देय नही होगी, एवं वाहन मालिक द्वारा डीजल स्वयं वहन किया जावेगा।
16. मासिक आधार पर वाहन किरायें पर लिए जाने हेतु बीएमओ मोबीलिटी सर्पोट हेतु अधिकतम 1400 कि.मी. की सीमा कों एवं आर.बी.एस.के. टीम हेतु अधिकतम 1200 कि.मी. की सीमा को आधार माना जायें।
17. वाहन का रात्रि विश्राम का चार्ज अलग से देय नही होगा।
18. वाहन की दरें संस्था/फर्म की स्वीकृत होने की दशा में 15 दिवस के अन्दर वाहन टैक्सी कोटा, समस्त बैध दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त ही प्रति संस्था राशि 500/– रूपयें पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। एवं वाहन संबंधी दस्तावेज जैसे फिटनेस,परमिट,बीमा की बैधता समाप्त हाने की दशा में अविलंब 15 दिवस के अन्दर बैध दस्तावेज जिला कार्यालय/सबंधित संस्था को उपलब्ध कराने होगें वाहन के बैध दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध न कराने की स्थिति में राशि 1000/– प्रति वाहन प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड़ लगाया जावेगा।
19. वाहन की निविदा स्वीकृति उपरान्त वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम 15 दिवस के अन्दर लगाना अनिवार्य होगा। जी.पी.एस. सबंधी बेबसाइड,यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड जिला कार्यालय/सबंधित संस्था को उपलब्ध कराना होगी। एवं जी.पी.एस. सबंधी बाउचर समय पर रिचार्ज कराना होगा। उक्त सिस्टम का बाउचर अवधि खत्म होने की स्थिति में फर्म/संस्था पर राशि 1000/– प्रति वाहन प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड़ लगाया जावेगा।
20 निविदा के नियम, निहित शर्ते एवं निविदा प्रपत्र www.tikamarh.nic.in से Downlode कर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 1000/– रूपयें जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रुप मे **डी.एच.एस. एन.आर.एच.एम. जिला टीकमगढ** {DHS NRHM Tikamgarh} के नाम से देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।यह राशि वापिस नहीं की जावेगी।
21 निविदा कार द्वारा सशर्त प्रस्तुत निविदा ग्राह्य नही होगी।
22 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/विना कोई कारण बतायें अमान्य करने का अधिकारी समिति का होगा। जिसे किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेंगी।
23 आर.बी.एस.के. वाहनो मे शासन दिशानिर्देशानुसार आई.ईसी करवाना अनिवार्य होगा।

सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा मैं.................................(निविदाकार का नाम) पुत्र श्री ....आयु.................. ......वर्ष.................. पूरा पता...यह घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है, उस कार्य से संबंधित एवं अन्य सभी सामान्य शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ी गई है, तथा उक्त सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

निविदाकार के हस्ताक्षर